

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....०१/११/2026.

**** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।**

द्वारा :-

**** मंत्रिपरिषद्।**

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में राज्य स्कीम "मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना" की स्वीकृति हेतु कुल रुपये 1,60,00,10,000/- (एक सौ साठ करोड़ दस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में राज्य स्कीम "मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना" की स्वीकृति हेतु कुल रुपये 1,60,00,10,000/- (एक सौ साठ करोड़ दस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

2. राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा संगठित डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि दुग्ध उत्पादक किसानों को उच्च नस्ल की गाय एवं भैंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन (कॉम्फेड) के माध्यम से एक समन्वित योजना लागू किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कॉम्फेड से संबद्ध 20000 दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्यों को 03 उन्नत नस्ल के दुधारू गाय एवं 02 उन्नत नस्ल के भैंस का वितरण के लिये बैंक ऋण पर ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।
3. इस योजना के कार्यान्वयन से निम्नांकित मूल लाभ होंगे :-
 - i. इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के दुग्ध क्षेत्र, किसानों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य में दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि उच्च

- उत्पादकता वाले पशुओं की उपलब्धता से प्रति पशु उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी।
- ii. इसके साथ ही, दुग्ध उत्पादक किसानों की नियमित एवं स्थिर आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। दूध विक्रय के माध्यम से किसानों को प्रतिदिन आय प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
 - iii. योजना के तहत पशुपालन गतिविधि के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा। पशुपालन, चारा आपूर्ति, दुग्ध संकलन एवं परिवहन जैसे कार्यों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी।
 - iv. इसके अतिरिक्त संगठित डेयरी नेटवर्क का विस्तार होगा, क्योंकि अधिकाधिक किसान दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़ेंगे, जिससे दूध संग्रहण एवं विपणन प्रणाली अधिक मजबूत होगी।
4. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में राज्य स्कीम के तहत कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न दुग्ध सहयोग समितियों में दुग्ध उत्पादक किसानों/पशुपालकों को उच्च उत्पादकता वाली गाय एवं भैंस वित्तपोषण के माध्यम से उपलब्ध कराने के निमित्त बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की राशि कुल रुपये 16000.10 लाख (रुपये एक सौ साठ करोड़ दस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जायेगी।
 5. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कॉम्फेड के विभिन्न दुग्ध संघों अन्तर्गत संचालित दुग्ध सहकारी समितियों में कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा उन्नत नस्ल के गाय (एच०एफ०, जर्सी, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी या इनके क्रॉस-ब्रीड) एवं उन्नत नस्ल के भैंस (मूरा या अन्य उच्च उत्पादकता वाले नस्ल) की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु अपना आवेदन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से संबद्ध दुग्ध संघ को प्रेषित करेंगे।
 6. इस योजना के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी कॉम्फेड, पटना की होगी। कॉम्फेड द्वारा लाभूकों के चयन एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर योजना क्रियान्वित की जायेगी तथा इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
 7. इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक किसानों को उन्नत नस्ल के गाय एवं भैंस क्रय करने हेतु बैंक द्वारा ऋण के मूलधन का भुगतान संबंधित किसान/पशुपालकों द्वारा किया जायेगा। ऋण की मासिक किश्त की राशि किसान को कॉम्फेड के दुग्ध सहकारी समिति में दूध विक्रय से प्राप्त राशि से स्वतः कटौती कर भुगतान की जायेगी, जिससे ऋण अदायगी में नियमितता सुनिश्चित होगी।

8. दुधारु मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा, जिसके सदस्य निम्नवत् रहेंगे :-
 - (i) लाभुक
 - (ii) ऋण प्रदाता बैंक/शाखा के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि
 - (iii) कॉम्पेड के प्रतिनिधि
 - (iv) पशु चिकित्सक
 - (v) बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि
9. क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुधारु मवेशी के क्रय के पश्चात् लाभूकों एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटोग्राफी लिया गया हो, साथ ही दुधारु मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगा दिया गया हो एवं NDLM पोर्टल पर डाटा ईयर टैग की प्रविष्टि कर दी गई हो।
10. इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि लाभूकों द्वारा लिये गये योजना अन्तर्गत बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज राशि का वहन बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा। इससे किसानों पर ब्याज का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी वित्तीय दबाव के पशुपालन गतिविधि को बढ़ा सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में लाभूकों द्वारा लिये गये बैंक ऋण के किस्तों का ससमय भुगतान नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज की राशि की देयता लाभूक की होगी।
11. इस योजना में प्रति दुधारु गाय एवं दुधारु भैंस की अधिकतम मूल्य रुपये 100000/- लागत होगी जिसमें पशु का क्रय मूल्य, परिवहन व्यय, पशुबीमा, प्रारंभिक स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण अन्य संबंधित खर्च सम्मिलित रहेंगे। इसके अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा।
12. इस योजना अन्तर्गत ऋण वितरण प्रक्रिया को सुगम एवं जोखिम रहित बनाने के लिये कॉम्पेड, पटना गारंटर की भूमिका निभाएगा। इससे बैंकिंग संस्थाओं में विश्वास बढ़ेगा, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी तथा अधिक संख्या में किसानों को ऋण उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।
13. इस योजना अन्तर्गत दुधारु मवेशी की डेयरी इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग जिला स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष किया जायेगा, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(i) संबंधित जिले के जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	—	सदस्य
(ii) संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी	—	सदस्य
(iii) दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि	—	सदस्य

14. स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा संबंधित दुग्ध संघ को ऋण स्वीकृति की सूचना उपलब्ध करायेंगे।
15. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि सचिवालय कोषागार विकास भवन से निकासी कर कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तांतरित की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कॉम्फेड, पटना द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
16. इस योजना के तहत चयनित लाभूकों द्वारा उन्नत नस्ल के गाय एवं उन्नत नस्ल के भैंस का क्रय अधिकृत पशु आपूर्तिकर्ता/देश के विभिन्न स्थापित दुग्ध एवं पशुधन केन्द्रों तथा कैटल फॉर्म से लाये गये उन्नत नस्ल के गाय एवं उन्नत नस्ल के भैंस में से गठित क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा।
17. इस योजना के तहत पशु के क्रय हेतु कैटल फॉर्मों को चयनित करने के पूर्व कॉम्फेड के तकनीकी विशेषज्ञों के टीम द्वारा संबंधित कैटल फार्मों से पशुओं की गुणवत्ता प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा—
 - i. नस्ल प्रमाण पत्र (Breed Certificate) :- संबंधित अधिकृत एजेंसी/पशुपालन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें पशु की नस्ल का स्पष्ट उल्लेख हो।
 - ii. दुग्ध उत्पादन अभिलेख (Milk Yield Records) :- पशु की दैनिक/औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता को प्रमाणित करने हेतु कम-से-कम 15-30 दिनों का रिकार्ड उपलब्ध कराना होगा।
 - iii. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Health Certificate) :- अधिकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि पशु रोगमुक्त है।
 - iv. टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण अभिलेख (Vaccination Records) :- पशु को लगाए गए टीकों एवं स्वास्थ्य परीक्षण का पूरा रिकॉर्ड।
 - v. प्रजनन/वंशावली विवरण (Pedigree Record) :- पशु के माता-पिता की नस्ल, उत्पादन क्षमता एवं प्रजनन इतिहास का विवरण।
 - vi. क्रय किये जाने वाले दुधारु मवेशियों का + ve GBV (Positive Genomic Breeding Value) प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
 - vii. बीमा दस्तावेज (Insurance Papers): पशु का बीमा किया जाना एवं उसका प्रमाण।

viii. कानूनी स्वामित्व प्रमाण (Ownership Documents) :- यह सुनिश्चित करने हेतु कि पशु वैध रूप से फार्म के स्वामित्व में है।

18. इस योजना के तहत नस्लों का चयन गाय एवं भैंस के दुग्ध उत्पादकता तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए किया जायेगा। जिसमें गाय का न्यूनतम दुग्ध उत्पादन 15 लीटर प्रतिदिन एवं भैंस का न्यूनतम दुग्ध उत्पादन 10 लीटर प्रतिदिन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक पशु के नस्ल, उसके दुग्ध उत्पादकता तथा स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण एवं सत्यापन पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा किया जायेगा ताकि लाभूकों को उच्च उत्पादकता वाले स्वस्थ एवं उत्पादक पशु ही उपलब्ध कराया जा सके।

19. इस योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन (कॉम्फेड) इस योजना में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न स्तरों पर समन्वय, निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इस संदर्भ में कॉम्फेड की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित होंगी :-

- i. कॉम्फेड द्वारा सर्वप्रथम संबंधित दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से योग्य एवं पात्र लाभुक किसानों का पारदर्शी चयन एवं उनका सत्यापन करना है। जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि योजना का लाभ वास्तविक दुग्ध उत्पादकों को ही हो रहा है।
- ii. इसके अतिरिक्त कॉम्फेड पर दायित्व होगा कि चयनित किसानों को उच्च उत्पादकता वाली उन्नत नस्ल वाली गाय एवं भैंस की आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि गुणवत्ता में सुधार के साथ दुग्ध उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हो सके। इस योजना के तहत केवल पशु उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि कॉम्फेड द्वारा लाभुक किसानों को पशुपालन, आहार प्रबंधन एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन कर सकें और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।
- iii. इसके साथ ही कॉम्फेड योजना में शामिल बैंकिंग संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर ऋण वितरण की प्रक्रिया को सुगम एवं तीव्र बनायेगा, जिससे लाभुक किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

अतः ऋण की नियमित अदायगी सुनिश्चित करने हेतु कॉम्फेड द्वारा यह व्यवस्था विकसित की जायेगी कि किसानों द्वारा बेचे गये दुग्ध के भुगतान से ही मासिक किस्त की स्वचालित कटौती (Auto Deduction) हो, जिससे भुगतान प्रणाली पारदर्शी सरल एवं सुव्यवस्थित बनी रहें और ऋण चूक (Default) की संभावना न्यूनतम हो।

इस प्रकार कॉम्पेड की भूमिका इस योजना में कार्यान्वयन गुणवत्ता नियंत्रण वित्तीय समन्वय एवं निगरानी के चारों प्रमुख आयामों को समाहित करते हुए एक केन्द्रीय स्तम्भ के रूप में रहेगी।

20. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभुकों को स्वयं करना होगा।
21. इस योजना के लाभुकों की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
22. इस योजना के तहत न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा। लाभुकों का चयन करते समय यथा-संभव सभी वर्गों के पशुपालकों को इसका लाभ मिले, इसका ध्यान DCS रखेगी।
23. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश अलग से तैयार कर निर्गत किया जायेगा।
24. इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्न मुख्य शीर्ष के तहत किया जायेगा :-

मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेयरी विकास परियोजनाएँ, माँग संख्या-02, उप शीर्ष-0115 -गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02-2404001020115 के तहत विषय शीर्ष-0115.31.06 -सहायक अनुदान गैर वेतन मद में अनुपूरक आगणन से बजट उपबंध कर व्यय की जायेगी।

25. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
26. दिनांक-02.09.2026 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस०(6)85/2026 के पृष्ठ 10-09/प०.
27. दिनांक-23.09.2026 को मद संख्या-07 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)85/2026 (पृष्ठ-24/टि०).

28. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)85/2026 के पृष्ठ-25/टि० तथा डायरी सं०-679, दिनांक-28.09.2026.
29. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार स्वीन्द)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85/2026- 5338 /पटना-15, दिनांक-...०१./.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85/2026- 5338 /पटना-15, दिनांक-...०१./.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85/2026- 5338 /पटना-15, दिनांक-...०१./.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85/2026- 5338 /पटना-15, दिनांक-...०१./.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85/2026- 5338 /पटना-15, दिनांक-...०१./.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-23.09.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-07 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85 / 2026- 5338 / पटना-15, दिनांक- 01 / 10 / 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85 / 2026- 5338 / पटना-15, दिनांक- 01 / 10 / 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)85 / 2026- 5338 / पटना-15, दिनांक- 01 / 10 / 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना" के स्वीकृति हेतु कुल रुपये 16000.10 लाख (रुपये एक सौ साठ करोड़ दस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में संभावित व्यय का व्यय विवरणी।

क्र० सं०	घटक	प्रति इकाई परियोजना लागत व्यय	भौतिक लक्ष्य	राज्य सरकार के द्वारा बैंक ऋण पर ब्याज की राशि अनुदान का स्वरूप	वित्तीय वर्ष 2026-27 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि	वित्तीय वर्ष 2028-29 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01 (एक) उन्नत नस्ल के दुधारु गाय की डेयरी इकाई की स्थापना	रु० 100000 / -	60000 इकाई	कॉम्पेड के विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लाभुकों को बैंक ऋण पर लगने वाले परियोजना लागत का अधिकतम 8% की दर से ब्याज की राशि	रु० 4800.00 लाख	रु० 3200.00 लाख	रु० 1600.00 लाख
2.	01 (एक) उन्नत नस्ल के दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना	रु० 100000 / -	40000 इकाई		रु० 3200.00 लाख	रु० 2133.40 लाख	रु० 1066.70 लाख
नोट :- विभिन्न घटकों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य में माँग के अनुसार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।							
कुल योग :-			100000 इकाई		रु० 8000.00 लाख	रु० 5333.40 लाख	रु० 2666.70 लाख

(कुल रुपये एक सौ साठ करोड़ दस हजार) मात्र।

5338

01/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव